



कार्यालय वन मंडल अधिकारी, महासमुन्द वनमंडल महासमुन्द

दूरभाष: 07723-222084

ई - मेल dfo-mahasamund.cg@rediffmail.com

क्र०/मा.चि./ 934
प्रति,

दिनांक 11/5/22

मुख्य वनसंरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर

विषय: - Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act 1980 proposal for the Rehabilitation & Upgrading of Dewari-Saldih-Gadphuljhar-Toshgaon-Toresingha Road Chhattisgarh, Area 2.767 Ha. (पंजीयन क्रं. FP/CG/ROAD/32638/2018)

संदर्भ: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-724/978 दिनांक 31.03.2018

-0-

विषयांकित संदर्भित के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ -1.....) आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा महासमुन्द वनमंडल के अंतर्गत बसना परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 298, रकबा 0.231 हे. एवं कक्ष क्रमांक 300 रकबा 2.536 हे. कुल रकबा 2.767 हे. वनक्षेत्र में देवरी सल्टीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की मांग की गई है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि मांग की गई वन भूमि न्यूनतम है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2-13) - उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/ROAD/32638/2018 आवंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 24,000/- जमा कराये गये हैं।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ14.....) - प्रस्तावित देवरी सल्टीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में निम्नानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है:-

वन मंडल	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा
महासमुन्द	2.767	0.000	2.767

टीप:- डी.जी.पी.एस सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 2.767 हे. क्षेत्र आरक्षित वन है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ15-16.....) - प्रस्तावित देवरी सल्टीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कुल 56.861 हे. गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 15000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ17.....) - प्रस्तावित वन क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (.....18.....) - एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।

- बि.क्र. 7. प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव (...19-235...) - प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 149 करोड़ 06 लाख रु. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है और की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
- बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (...26-37...) - प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।
- बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (...38...) - यूजर एजेंसी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (...39...) - यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (...40-58...) - यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की छाया प्रति संलग्न की है। जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 59-64) - वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में) संलग्न है।
- बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव 65-72) - कास्ट बेनिफिट एनालिसिस आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 14. - चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 73...) - आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों का नक्शा (प्रस्ताव 74...) - यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है कि नक्शों की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 75-96) - वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
- बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99-101) - वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 102...) - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 103...) - लागू नहीं।
- बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 104...) - लागू नहीं।
- बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 105-106...) - कलेक्टर महासमुन्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 107...) - आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 108...) - प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

- बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ ...109.....) - प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ110.....) - यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्रा I से III तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 111-116...) - वन मंडलाधिकारी महासमुन्द वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ 115... से 116... पर दिया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग - 2 पृष्ठ 113-114 पर भरा गया है।
- बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117, 118) - प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर महासमुन्द द्वारा जारी किया गया है।
- बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 119 - 135...) - संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 136...) - प्रस्ताव महासमुन्द वनमंडल की कुल वन भूमि 100519.270 हे. है।
- बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 137...) - स्वीकृत प्रकरणों में महासमुन्द वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 1686.925 हे. है।
- बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 138...) - स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की महासमुन्द वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 101.25 हे. है।
- बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्रा के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 139...) - आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी महासमुन्द का पृथक प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 140.....) - खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 141 - 143) - आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर महासमुन्द द्वारा दिनांक 25.02.2021 को 2.767 हे. वन भूमि के लिये प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 144.....) - चूंकि प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है अतः राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 145 - 146...) - यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ147.....) - यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ148.....) - Soil Productivity Report की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ...149.....) — वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ ...150.....) — आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 151-152) — कुल राशि 24000/- के बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति भी पुष्टि हेतु संलग्न है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ ...153.....) — वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा अभिमत दिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रमावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ...154.....) — प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ...155.....) —

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

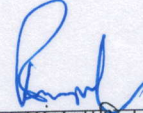
उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विषयांकित देवरी सल्डीह तोशगांव गढ़फुलझर तोरेशिंघा मार्ग का चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 05 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

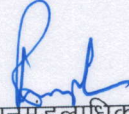
संलग्न:-

1. प्रस्ताव 05 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट
3. भाग-2
4. टाईम लाईन

पृ.क्र./मा.चि./ 935
प्रतिलिपि :-

आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) लो. नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी
महासमुन्द वनमंडल महासमुन्द
महासमुन्द, दिनांक 11/15/22


वनमंडलाधिकारी
महासमुन्द वनमंडल महासमुन्द